विनिर्माण कार्य पॉलिसी

>> **विनिर्माण कार्य पॉलिसी का उद्देश्य क्या है ?**
>> **विनिर्माण संविदा की विशेषताएँ क्या है व संविदाकार द्वारा कौनसी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए ?**
>> **विनिर्माण कार्य पॉलिसी पर संरक्षित जोखिम कौन से हैं ?**
>> **विनिर्माण कार्य पॉलिसी द्वारा किन जोखिमों पर रक्षा प्रदान नहीं की जा सकती ?**
>> **विनिर्माण कार्य पॉलिसी के लिए प्रीमियम किस तरह निर्धारित किया जाता है ?**
>> **क्या संविदाकारों को आवधिक घोषणाएँ प्रस्तुत करना आवश्यक है ?**
>> **विनिर्माण कार्य पॉलिसी के संबंध में हानि किस प्रकार अभिनिश्चित की जाती है ?**
>> **विनिर्माण कार्य पॉलिसी के संबंध में किन स्थितियों के अधीन दावों की अदायगी की जाती है ?**
>> **रक्षा, दावा व वसूली के उद्देश्य के लिए विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?**

विनिर्माण कार्य पॉलिसी

>> विनिर्माण कार्य पॉलिसी का उद्देश्य क्या है ?

निर्माण कार्य पॉलिसी उन भारतीय संविदाकारों को रक्षा प्रदान कने के लिए बनाई गई है जो विदेशों में सिविल निर्माण कार्य निष्पादित करते हैं ।

>> विनिर्माण संविदा की विशेषताएँ क्या है व संविदाकार द्वारा कौनसी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए ?

निर्माण संविदा की विभिन्न विशेषताएँ इस प्रकार हैं (क) संविदाकार, संपूर्ण संविदा अवधि के दौरान एक बिल अवधि से दूसरी बिल अवधि के बीच किए गए कार्य के मूल्य के बिल समय समय पर प्रस्तुत करते रहें, (ख) भुगतान को उचित साबित करने के लिए नियोक्ता द्वारा इसी कार्य के लिए नियुक्त किए गए परामर्शदाता अथवा पर्यवेक्षक द्वारा बिलों को प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा (ग) यह कि आपूर्ति वस्तुओं के लिए हुंडी से भिन्न अन्य वस्तुओं के साथ संविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल उसके ऋण के निर्णायक सबूत नहीं होते बल्कि वे संविदा की भुगतान की शर्तों, जो विभिन्न गणना में जुर्माना अथवा समायोजना के लिए चीजों के साथ प्रदान की जाती हैं, के अधीन होंगे । इसमें विवाद की संभावना अधिक है । इसके अतिरिक्त चूँकि संविदा में

मूल्य वृद्धि, संविदाओं में परिवर्तन तथा अतिरिक्त संविदा आदि शामिल है, संविदा मूल्य स्वयं ही किए जानेवाले कार्य का अनुमान साबित हो सकता है । अत: संविदाकार के लिए यह आवश्यक है कि संविदाकार यह सुनिश्चित करे कि दोनों पक्षों के दायित्वों को स्पष्ट करने और संविदा के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए संविदा का स्पष्ट मसौदा तैयार करें । संविदाकारों को सूचित किया जाता है कि वे फेडरेशन इंटरनेशनल डू बेटीमेंट एट डेस ट्रॉवॉक्स पब्लिक (एफ आई बी टी पी) के साथ संयुक्त रूप से फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इंजीनियर्स काउंसिल्स (एफ आई डी आइ सी) द्वारा तैयार की गई संविदा की मानक शर्तों (अंतर्राष्ट्रीय) का उपयोग करें ।

>> विनिर्माण कार्य पॉलिसी पर संरक्षित जोखिम कौन से हैं ?

ईसीजीसी की निर्माण कार्य पॉलिसी संविदाकार को निम्नलिखित जोखिमों के फलस्वरूप होने वाली हानि के ८५% तक रक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है ।

i) नियोक्ता का दिवालियापन (जब वह गैरसरकारी हस्ती हो)

ii) नियोक्ता का संविदा की शर्तों के अधीन, जिसमें विवाचन पुरस्कार के रूप में देय राशि शामिल है, सहित संविदाकार को देय राशि का भुगतान करने में असफल होना,

iii) नियोक्ता द्वारा स्थानीय मुद्रा में भुगतान करने के पश्चात नियोक्ता के देश से भारत को किए जानेवाले भुगतान अंतरणों पर प्रतिबंध,

iv) संविदाकार का युद्ध, क्रांति आदि के कारण संविदा के अंतर्गत देय राशि प्राप्त करने में असफल होना,

v) यदि संविदाकार कोई देय राशि, संविदा के असफल होने अथवा खंडित होने के कारण प्राप्त करने में असफल होता है तथा यह असफलता युद्ध, गृह युद्ध अथवा क्रांति आदि के फलस्वरूप देय राशि अथवा देय तिथि का पता न लगा सकने के कारण हो,

vi) माल अथवा वस्तुओं (जो संविदाकार का सयंत्र अथवा उपकरण न हो) के आयातों पर प्रतिबंध लगाना अथवा इस प्रकार के माल के आयात करने के प्रतिबंध को रद्द किया जाना अथवा भारत में निर्यात लाईसेंस को रद्द किया जाना, ऐसे कारणों के लिए जो उनके नियंत्रण के बाहर हो तथा

vii) भारत के बाहर समुद्री यात्रा में रुकावट या मार्ग परिवर्तन जिसके फलस्वरूप भारत से किए जाने वाले माल अथवा वस्तुओं के निर्यात के संबंध में अतिरिक्त भाड़े या बीमा शुल्क की ऐसी अतिरिक्त अदायगी जिसकी राशि खरीदार से वसूल नहीं की जा सकती ।

>> विनिर्माण कार्य पॉलिसी द्वारा किन जोखिमों पर रक्षा प्रदान नहीं की जा सकती ?

विनिर्माण कार्य पॉलिसी में निम्नलिखित के कारण होने वाली हानियाँ शामिल नहीं है ।

i) संविदाकार तथा / अथवा नियोक्ता (जहाँ पर नियोक्ता सरकार नहीं है) परियोजना के कार्यान्वयन तथा उसके भुगतान के लिए भारत के अथवा नियोक्ता देश के कानून के अंतर्गत किसी आवश्यक प्राधिकार प्राप्त करने, जारी करने अथवा सुपुर्द करने में असफल होना,

ii) वे जोखिम जो सामान्यतया वाणिज्यिक बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकृत किए जाते हैं,

iii) किसी एजेंट, बिक्रिकर्ता अथवा उस संविदाकार के दिवालिया होने, चूक करने अथवा उसकी लापरवाही के कारण,

iv) नियोक्ता द्वारा १२० दिनों की अवधि के लिए भुगतान में चूक करने के पश्चात संविदाकार द्वारा किसी कार्य का कार्यान्वयन अथवा किसी प्रकार का व्यय किया जाना बशर्ते कि संविदाकार ने चूक करने से ९० दिनों के भीतर निगम को आवेदन किया हो तथा निगम ने नियोक्ता की उक्त चूक के बावजूद संविदा के कार्यान्वयन को जारी रखने की मंजूरी दी हो,

v) संविदा के पूरे होने की अनुमानित तारीख के पश्चात संविदाकार द्वारा किसी कार्य के कार्यान्वयन अथवा किसी प्रकार का व्यय वहन करना जब तक कि संविदाकार के अनुरोध पर निगम ने उस तारीख में परिवर्तन की मंजूरी न दी हो ।

>> विनिर्माण कार्य पॉलिसी के लिए प्रीमियम किस तरह निर्धारित किया जाता है ?

विनिर्माण कार्य पॉलिसी के लिए प्रीमियम दर नियोक्ता के देश के वर्गीकरण तथा भुगतान की शर्तों पर आधारित होगी तथा अनुरोध किए जाने पर निगम द्वारा उसे उद्धृत किया जाएगा । यह दर ईसीजीसी को देय प्रीमियम की राशि तक पहुँचने के लिए अनुमानित संविदा मूल्य पर लागू होगी । प्रीमियम की राशि अग्रिम रूप में देय होगा । संविदाकार इसके लिए बाध्य है कि यदि अनुमानित संविदा मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी अधिसूचना ईसीजीसी को दे, तदनुसार प्रीमियम का समायोजन किया जाएगा ।

>> क्या संविदाकारों को आवधिक घोषणाएँ प्रस्तुत करना आवश्यक है ?

हॉ, संविदाकार को चाहिए कि वह निगम को संविदा के कार्यान्वयन तथा भुगतानों की स्थिति संबंधी घोषणाएँ समय - समय पर निगम द्वारा निर्धारित किए अनुसार प्रस्तुत करें ।

>> विनिर्माण कार्य पॉलिसी के संबंध में हानि किस प्रकार अभिनिश्चित की जाती है ?

जब हानि किसी भी बीमाकृत जोखिमों के कारण उत्पन्न होती है तो पॉलिसी के अंतर्गत संविदाकार द्वारा दावा दाखिल करने के पश्चात पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार ईसीजीसी द्वारा हानि की राशि का निर्धारण किया

जाएगा । तथापि, जहाँ पर संविदाकार उसी नियोक्ता के लिए साथ ही साथ कुछ अन्य संविदाओं का भी निष्पादन कर रहा है तो इस बात पर विचार किए बिना कि ईसीजीसी द्‌वारा इस प्रकार की संविदाओं का बीमा कराया गया है अथवा नहीं संविदाकार द्‌वारा अदा की गई सभी राशियों का निर्धारण, सभी संविदाओं के अंतर्गत बकाया राशियों से इन राशियों के भुगतान की देय तारीखें के कालक्रमानुसार किया जाएगा ।

>> विनिर्माण कार्य पॉलिसी के संबंध में किन स्थितियों के अधीन दावों की अदायगी की जाती है ?

यदि पॉलिसी के अंतर्गत दावा दायर किया गया है तो निगम, राशि का भुगतान भारत में संविदाकार के बैंक, जिसका संविदा के अंतर्गत प्राप्यों पर अधिकार अथवा गृहणाधिकार होता है, को सीधे करेगा । यह भुगतान इस शर्त पर किया जाएगा कि संविदाकार ईसीजीसी को यह वचन दे कि वह नियोक्ता से सभी देयों की वसूली के लिए ईसीजीसी द्‌वारा सुझाई गई कार्रवाईयों सहित सभी कार्रवाई करेगा व वसूल की गई राशि में से ईसीजीसी का हिस्सा उसे सौंप देगा । यदि आवश्यक हो तो संविदाकार इस प्रकार के वचन को, दावे की राशि के बराबर की राशि के लिए बैंक गारंटी का समर्थन देगा । यदि संविदाकार वसूली की कार्रवाई करने में असफल होता है तो उसे निगम द्‌वारा दावे के रूप में अदा की गई राशि ब्याज सहित वापस लौटानी होगी ।

>> रक्षा, दावा व वसूली के उद्‌देश्य के लिए विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ?

पॉलिसी के अंतर्गत निगम की देयता भारतीय रुपयों में होगी । यदि मूल्य विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया गया है तो उसे पॉलिसी में विनिर्दिष्ट दर से भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा, पॉलिसी के अंतर्गत संरक्षित राशि तथा निगम की अधिकतम देयता को निर्धारित करने के लिए उसकी दर लगभग वही होगी जो बैंक की विनिमय खरीद दर संविदा की तारीख पर थी ।

निगम को समय-समय पर घोषणाएँ प्रस्तुत करने के उद्‌देश्य से संविदाकार द्‌वारा उसी विनिमय दर का उपयोग किया जाएगा । तथापि नियोक्ता द्‌वारा भुगतान की जानेवाली मुद्रा का अवमूल्यन, यदि ईसीजीसी द्‌वारा दावे का भुगतान करने के पूर्व हो जाता है तो संविदाकार द्‌वारा भारतीय रुपयों में दावा की गई राशि अवमूल्यित दर पर आधारित होगी । वसूलियों की गणना, उस वास्तविक दर पर किए गए वसूली व्यय जिसपर प्राप्तकर्ता बैंक द्‌वारा वसूल की गई राशि को रुपये में परिवर्तित किया गया था, के आधार पर की जाएगी । इस वसूली का बँटवारा ईसीजीसी तथा संविदाकार के बीच उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में उनके द्‌वारा मूल

रूप से हानि वहन की गई थी, भले ही इस प्रकार के बँटवारे से ईसीजीसी की उसके द्वारा अदा किए गए दावे की राशि से कम अथवा अधिक राशि प्राप्त हो ।

योजना पर और किसी स्पष्टीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें ।